संख्या-525/2023/655/22-2-2023-17(209)/2017

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2023

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री युसुफ, निवासी जनपद-मुरादाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10417/प्रो0अनु0(2)-246/2023 (बैठक दिनांक 16.03.2023), दिनांक 28.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री युसुफ, ग्राम-शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण दिनांक 21.05.2001 को बन्दी ने अपने 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर प्रात: 10:00 बजे जमीन के विवाद में चल रहे मुकदमें की पैरवी करने वाले 03 व्यक्तियों की पिस्टल, देशी तमंचे व चाकू से हमला कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/01 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2021 तक 19 वर्ष 09 माह 13 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 22.05.2021 तक 47 वर्ष 11 माह 21 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकित किया गया कि बन्दी जमानत पर कारागार से बाहर रह रहा है तथा बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ है। बन्दी कारागार से रिहा होने पर पुनः अपराध कर सकता है। बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 06.02.2023 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश होने के कारण बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.2001 को 10 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिन में 10:00 बजे जमीनी विवाद के मुकदमें की पैरवी करने वाले 03 व्यक्तियों की पिस्टल, देशी तमंचे व चाकू से हमला कर जघन्य अपराध कारित किये जाने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कय्यूम पुत्र श्री युसुफ की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी कय्यूम (बन्दी संख्या-16092) पुत्र श्री युसुफ, निवासी जनपद-मुरादाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-525/2023/655(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।